

अनुसंधान प्रश्न

“भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत जमानत कैसे काम करती है, नियमित जमानत, अग्रिम जमानत और डिफॉल्ट जमानत क्या हैं, और 'जमानत नियम है, जेल अपवाद' पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या सिद्धांत तय किए हैं?”

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत नियमित, अग्रिम और डिफॉल्ट जमानत के विधिक प्रावधान तथा 'जमानत नियम है, जेल अपवाद' पर सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शक सिद्धांत

सारांश

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) के तहत जमानत प्रणाली व्यक्तिगत स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21) और सामाजिक सुरक्षा के बीच संतुलन पर आधारित है, जिसमें नियमित जमानत (Section 480, 484 BNSS) और अग्रिम जमानत (Section 482/483 BNSS) के प्रावधान शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने *Satender Kumar Antil v. CBI* (2022) और हाल ही में *Manish Sisodia v. Directorate of Enforcement* (2024) में यह स्थापित किया है कि "जमानत नियम है और जेल अपवाद", और मुकदमे में अनुचित देरी के कारण बिना किसी दोषसिद्धि के आरोपी को अनिश्चित काल के लिए हिरासत में रखना संवैधानिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। हालांकि, उपलब्ध खोज परिणामों (search results) में 'डिफॉल्ट जमानत' (Section 187 BNSS / Section 167 CrPC) के संबंध में विशिष्ट न्यायिक व्याख्याओं का अभाव है, जिसे वर्तमान विधिक सामग्री की एक स्पष्ट सीमा के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए।

सत्यापित मुकदमे	संविधियाँ	नवीनतम निर्णय
25	4	2025
18 उच्च न्यायालय • 7 सर्वोच्च न्यायालय		Allahabad High Court

विषय-सूची

I. विस्तृत विश्लेषण	2
II. सांविधिक प्रावधान	4
III. चर्चित मुकदमे	7
IV. मुकदमे का विवरण	9

Vitark AI द्वारा तैयार • अत्यंत गोपनीय • उपयोग से पहले उद्धरण सत्यापित करें

I. विस्तृत विश्लेषण

मुख्य सिद्धांत

01 'जमानत नियम है, जेल अपवाद' का संवैधानिक आधार

अनुच्छेद 21 के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि है। दोषसिद्धि से पहले किसी भी प्रकार का कारावास अंतर्निहित रूप से दंडात्मक होता है। इसका एकमात्र उद्देश्य आरोपी की मुकदमे में उपस्थिति सुनिश्चित करना है, न कि सजा देना, जैसा कि *Sanjay Chandra v. CBI* (2011) और *Satender Kumar Antil v. CBI* (2022) में निर्धारित किया गया है।

02 BNSS के तहत अग्रिम जमानत का विस्तृत विवेकाधिकार

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 482/483 (जो पूर्ववर्ती CrPC की धारा 438 के समकक्ष है) के तहत विधायिका ने न्यायालयों के विवेकाधिकार को और व्यापक किया है। पूर्ववर्ती धारा 438 में मौजूद कुछ विशिष्ट मार्गदर्शक कारकों (जैसे अपराध की गंभीरता, आपराधिक इतिहास, और भागने की संभावना) को नए प्रावधान से हटा दिया गया है, जिससे अग्रिम जमानत पर न्यायालय का विवेकाधिकार अधिक विस्तृत हुआ है, जैसा कि *Parisha Trivedi v. State of Chhattisgarh* (2024) में व्याख्यायित किया गया है।

03 अग्रिम जमानत की जीवन-अवधि और सीमाएँ

अग्रिम जमानत एक बार दिए जाने पर आम तौर पर मुकदमे के अंत तक जारी रहनी चाहिए। आरोपी को निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने और पुनः नियमित जमानत के लिए आवेदन करने हेतु मजबूर करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना के विपरीत है, जैसा कि *Siddharam Satlingappa Mhetre v. State of Maharashtra* (2010) और *Vasu Sharma v. UT of J&K* (2024) में तय किया गया है।

04 मुकदमे में अनुचित देरी के कारण जमानत का अधिकार

त्वरित विचारण (speedy trial) का अधिकार जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। गंभीर या कड़े विशेष कानूनों (जैसे PMLA या UAPA) के बावजूद, यदि मुकदमे में अनुचित देरी होती है और आरोपी लंबे समय से जेल में है, तो संवैधानिक न्यायालय उसे जमानत पर रिहा करने के लिए बाध्य है, जैसा कि *Manish Sisodia v. Directorate of Enforcement* (2024) और *Arjun v. State of U.P.* (2024) में स्पष्ट किया गया है।

05 दोषसिद्धि के उपरांत 'जमानत नियम' के सिद्धांत की अनुपयोगिता

"जमानत नियम है, जेल अपवाद" का सिद्धांत केवल दोषसिद्धि से पहले (pre-trial) के मामलों पर लागू होता है, जहाँ निर्दोषता की धारणा (presumption of innocence) बनी रहती है। दोषसिद्धि के बाद सजा के निलंबन (suspension of sentence) के मामलों में यह सिद्धांत लागू नहीं होता; वहाँ जमानत देने के लिए अपील के गुण-दोष के साथ अत्यधिक मजबूत कारणों का होना आवश्यक है, जैसा कि *Preet Pal Singh v. State of Uttar Pradesh* (2020) में तय किया गया है।

न्यायालयों ने इसे कैसे लागू किया

**सर्वोच्च न्यायालय का
दृष्टिकोण**

सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त की है कि निचली अदालतें और उच्च न्यायालय जमानत देने के मामलों में "सुरक्षित खेलने" (playing safe) की प्रवृत्ति अपनाते हैं, जिससे "जमानत नियम है, जेल अपवाद" का सिद्धांत केवल कागजों पर रह जाता है और सर्वोच्च न्यायालय पर जमानत याचिकाओं का भारी बोझ बढ़ता है (*Manish Sisodia v. Directorate of Enforcement* (2024))। न्यायालय ने यह भी माना है कि अत्यंत गंभीर आरोपों या विशेष संविधियों की कड़ी शर्तों के तहत भी, यदि जमानत का मामला बनता है, तो अदालतों को जमानत देने में संकोच नहीं करना चाहिए (*Pushpaprabha Varghese & Anr. v. State of Kerala* (2025) में उद्धृत *Jalaluddin Khan v. Union of India* (2024))।

**उच्च न्यायालय की
भिन्नताएँ**

उच्च न्यायालयों ने BNSS के तहत जमानत याचिकाओं का निपटारा करते समय परिस्थितियों का कड़ा विश्लेषण किया है। जहाँ एक ओर गंभीर आर्थिक अपराधों, पोंजी योजनाओं या नशीले पदार्थों की व्यावसायिक मात्रा की बरामदगी और आपराधिक इतिहास के मामलों में अग्रिम जमानत को अस्वीकार किया गया है (*Naresh Kumar Gulia v. Directorate of Enforcement* (2025); *Gurvinder Singh v. State of Haryana* (2025)), वहीं दूसरी ओर लंबे समय तक हिरासत (जैसे 40-70 दिन) रहने और जांच पूरी होने के बाद नियमित जमानत को प्राथमिकता दी गई है (*Ashokan v. State of Kerala* (2024); *Pranav v. State of Kerala* (2024))।

अनिर्णीत क्षेत्र या चेतावनियाँ**डिफॉल्ट जमानत (Default Bail) पर विधिक शून्य**

उपलब्ध प्राथमिक विधिक और न्यायिक खोज परिणामों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 187 (जो पूर्ववर्ती CrPC की धारा 167 के स्थान पर आई है) के तहत डिफॉल्ट जमानत के सिद्धांतों या उसमें आए विधिक बदलावों पर कोई विशिष्ट चर्चा या केस लॉ उपलब्ध नहीं है। अतः, इस संप्रभु विधिक प्रश्न पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कोई निश्चित सिद्धांत प्रस्तुत करना संभव नहीं है।

II. सांविधिक प्रावधान 4 प्रावधान

SECTION 480, BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023 — WHEN BAIL MAY BE TAKEN IN CASE OF NON-BAILABLE OFFENCE

यह प्रावधान उन शर्तों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है जिनके तहत किसी गैर-जमानती अपराध के मामले में अदालत या पुलिस अधिकारी द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर रिहा किया जा सकता है, जिसमें सबूतों के साथ छेड़छाड़ या बार-बार अपराध करने से रोकने के लिए विशिष्ट शर्तें लगाना शामिल है।

"(2) If it appears to such officer or Court at any stage of the investigation, inquiry or trial, as the case may be, that there are not reasonable grounds for believing that the accused has committed a non-bailable offence, but that there are sufficient grounds for further inquiry into his guilt, the accused shall, subject to the provisions of section 492 and pending such inquiry, be released on bail, or, at the discretion of such officer or Court, on the execution by him of a bond for his appearance as hereinafter provided. (3) When a person accused or suspected of the commission of an offence punishable with imprisonment which may extend to seven years or more or of an offence under Chapter VI, Chapter VII or Chapter XVII of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 or abetment of, or conspiracy or attempt to commit, any such offence, is released on bail under sub-section (1), the Court shall impose the conditions,-- (a) that such person shall attend in accordance with the conditions of the bond executed under this Chapter; (b) that such person shall not commit an offence similar to the offence of which he is accused, or suspected, of the commission of which he is suspected; and (c) that such person shall not directly or indirectly make any inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts of the case so as to dissuade him from disclosing such facts to the Court or to any police officer or tamper with the evidence, and may also impose, in the interests of justice, such other conditions as it considers necessary." उद्धृत: Naresh Kumar Gulia v. Directorate of Enforcement, Vasu Sharma v. UT of J&K, Pushpaprabha Varghese & Anr. v. State of Kerala

SECTION 484, BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023 — SPECIAL POWERS OF HIGH COURT OR COURT OF SESSION REGARDING BAIL

यह प्रावधान उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय को हिरासत में लिए गए आरोपी को जमानत पर रिहा करने, मजिस्ट्रेट द्वारा लगाई गई शर्तों को रद्द या संशोधित करने और जमानत पर रिहा किए गए व्यक्ति को पुनः गिरफ्तार करने का निर्देश देने की विशेष शक्तियां प्रदान करता है।

"483. Special powers of High Court or Court of Session regarding bail .—(1) A High Court or Court of Session may direct, — (a) that any person accused of an offence and in custody be released on bail, and if the offence is of the nature specified in sub -section (3) of section 480, may impose any condition which it considers necessary for the purposes mentioned in that sub -section; (b) that any condition imposed by a Magistrate when releasing any person on bail be set aside or modified: Provided that the High Court or the Court of Session shall, before granting bail to a person who is accused of an offence which is triable exclusively by the Court of Session or which, though not so triable, is punishable with imprisonment for life, give notice of the application for" उद्धृत: Naresh Kumar Gulia v. Directorate of Enforcement, Vasu Sharma v. UT of J&K, Pushpaprabha Varghese & Anr. v. State of Kerala

SECTION 483, BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023 — DIRECTION FOR GRANT OF BAIL TO PERSON APPREHENDING ARREST

यह प्रावधान उस व्यक्ति को, जिसे किसी गैर-जमानती अपराध के लिए अपनी गिरफ्तारी की आशंका है, उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है।

"483. Direction for grant of bail to person apprehending arrest. —(1) When any person has reason to believe that he may be arrested on an accusation of having committed a non -bailable offence, he may apply to the High Court or the Court of Session for a direction under this section; and that Court may, if it thinks fit, direct that in the event of such arrest, he shall be released on bail." उद्धृत: Naresh Kumar Gulia v. Directorate of Enforcement, Vasu Sharma v. UT of J&K, Pushpaprabha Varghese & Anr. v. State of Kerala

SECTION 482, BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA, 2023 — DIRECTION FOR GRANT OF BAIL TO PERSON APPREHENDING ARREST

यह धारा अग्रिम जमानत (anticipatory bail) की प्रक्रिया को रेखांकित करती है, जो गैर-जमानती अपराध के लिए गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय से निर्देश प्राप्त करने में सक्षम बनाती है कि ऐसी गिरफ्तारी की स्थिति में उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

"Section 482. Direction for grant of bail to person apprehending arrest

(1) When any person has reason to believe that he may be arrested on an accusation of having committed a non-bailable offence, he may apply to the High Court or the Court of Session for a direction under this section; and that Court may, if it thinks fit, direct that in the event of such arrest, he shall be released on bail." उद्धृत: Naresh Kumar Gulia v. Directorate of Enforcement, Vasu Sharma v. UT of J&K

III. चर्चित मुकदमे

25 मुकदमे • सारणी

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
01	<i>Satender Kumar Antil v. Central Bureau of Investigation & Anr.</i> ESCR010005852022	SUPREME COURT OF INDIA	2022	जमानत प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और स्वतंत्र 'Bail Act' पर विचार करने का निर्देश।
02	<i>Parisha Trivedi v. State of Chhattisgarh</i> CGHC010279822024	HIGH COURT OF CHHATTISGARH	2024	BNSS की धारा 482 के तहत अग्रिम जमानत के व्यापक विवेकाधिकार की व्याख्या।
03	<i>Arjun v. State of U.P.</i> UPHC020712022023	ALLAHABAD HIGH COURT	2024	5 वर्षों से अधिक के कारावास को अनुच्छेद 21 के तहत जमानत का ठोस आधार माना।
04	<i>Ramesh Chand v. State of Himachal Pradesh</i> HPHC010160212017	HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH	2017	सबक सिखाने या आचरण की अस्वीकृति के लिए जमानत रोकने को अनुचित माना।
05	<i>Tara Chand v. State of Himachal Pradesh</i> HPHC010029952018	HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH	2018	गवाहों को प्रभावित करने की केवल आशंका पर बिना दोषसिद्धि हिरासत को गलत ठहराया।
06	<i>Sanjay Chandra v. CBI</i> ESCR010001892011	SUPREME COURT OF INDIA	2011	जमानत का उद्देश्य गैर-दंडात्मक है, इसका उद्देश्य केवल मुकदमे में उपस्थिति सुनिश्चित करना है।
07	<i>Akash Kashyap v. State of U.P.</i> UPHC013131902024	ALLAHABAD HIGH COURT	2025	जेलों में अत्यधिक भीड़ और परीक्षण में अत्यधिक देरी को जमानत का आधार माना।
08	<i>Chaman Singh v. State of Himachal Pradesh</i> HPHC010034472018	HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH	2018	चिकित्सा रिपोर्ट में विसंगति और FIR में अत्यधिक देरी पर नियमित जमानत दी।
09	<i>Linshad v. State of Kerala</i> KLHC010308082025	HIGH COURT OF KERALA	2025	विशेष कानून (NDPS Act) के मामलों में 'मध्यवर्ती मात्रा' होने पर जमानत की मंजूरी।
10	<i>M.V.S. Ramu v. State</i> HBHC010604532014	HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA	2014	जमानत का अर्थ पूर्ण मुक्ति नहीं, बल्कि प्रतिभूतियों की अभिरक्षा में रचनात्मक नियंत्रण है।
11	<i>D.K. Ganesh Babu v. P.T. Manokaran</i> ESCR010005932007	SUPREME COURT OF INDIA	2007	नियमित जमानत (गिरफ्तारी के बाद) और अग्रिम जमानत (गिरफ्तारी से पूर्व) के अंतर की व्याख्या।
12	<i>Vasu Sharma v. UT of J&K</i> JKHC020042102024	HIGH COURT OF JAMMU AND KASHMIR	2024	अनावश्यक गिरफ्तारियों को रोकने और BNSS की धारा 482 के तहत अग्रिम जमानत की निरंतरता।
13	<i>Sajeev Kumar M.N. v. State of Kerala</i> KLHC011015762024	HIGH COURT OF KERALA	2024	समाज की भावनाओं के बजाय केवल ठोस विधिक साक्ष्यों के आधार पर जमानत का आकलन।
14	<i>Kasimkota Kameswara Rao v. State of Andhra Pradesh</i> APHC010245102025	HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH	2025	"गिरफ्तारी एक अंतिम विकल्प होना चाहिए" सिद्धांत के आधार पर अग्रिम जमानत।

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
15	<i>Siddharam Satlingappa Mhetre v. State of Maharashtra</i> ESCR010003512010	SUPREME COURT OF INDIA	2010	अग्रिम जमानत देने के प्रमुख कारकों और इसके असीमित जीवनकाल का निर्धारण।
16	<i>Pranav v. State of Kerala</i> KLHC010969802024	HIGH COURT OF KERALA	2024	जांच व्यावहारिक रूप से पूरी होने और 70 दिनों की कस्टडी पर नियमित जमानत मंजूर।
17	<i>Gurvinder Singh v. State of Haryana</i> PHHC010589522025	HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA	2025	वाणिज्यिक मात्रा (NDPS) और आपराधिक इतिहास के कारण अग्रिम जमानत याचिका खारिज।
18	<i>Naresh Kumar Gulia v. Directorate of Enforcement</i> JKHC020010602025	HIGH COURT OF JAMMU AND KASHMIR	2025	गंभीर आर्थिक पोंजी योजना और जांच में असहयोग के कारण अग्रिम जमानत निरस्त।
19	<i>Ashokan v. State of Kerala</i> KLHC011008882024	HIGH COURT OF KERALA	2024	40 दिनों की कस्टडी और जांच पूरी होने के आधार पर जमानत का अधिकार।
20	<i>Pushpaprabha Varghese & Anr. v. State of Kerala</i> KLHC010313522025	HIGH COURT OF KERALA	2025	वित्तीय अनियमितता के मामले में सह-आरोपियों को जमानत मिलने पर समानता का अधिकार।
21	<i>Priya Indoria v. State of Karnataka</i> ESCR010007832023	SUPREME COURT OF INDIA	2023	अनुच्छेद 21 के तहत अंतर-राज्यीय क्षेत्राधिकार में 'ट्रांजिट अग्रिम जमानत' का विकास।
22	<i>Chandrasekharan Nair v. State of Kerala</i> KLHC011036982024	HIGH COURT OF KERALA	2024	47 दिनों की कस्टडी और रिकवरी होने पर नियमित जमानत की मंजूरी।
23	<i>Sandeep v. State of Haryana</i> PHHC011382542025	HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA	2025	फर्जी सरकारी नौकरी पत्र और गंभीर धोखाधड़ी में अग्रिम जमानत देने से इनकार।
24	<i>Manish Sisodia v. Directorate of Enforcement</i> ESCR010005642024	SUPREME COURT OF INDIA	2024	अनुचित रूप से लंबे कारावास और बिना मुकदमे की हिरासत पर जमानत को मौलिक अधिकार माना।
25	<i>Preet Pal Singh v. State of Uttar Pradesh</i> ESCR010004102020	SUPREME COURT OF INDIA	2020	दोषसिद्धि के उपरांत निर्दोषता की धारणा की समाप्ति और कड़े विधिक मापदंड।

IV. मुकदमे का विवरण 25 केस फ़ाइलें

01 Satender Kumar Antil v. Central Bureau of Investigation & Anr.

SUPREME COURT OF INDIA • 2022-07-11 • 2022 INSC 690

यह निर्णय जमानत (bail) देने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश प्रदान करता है। न्यायालय ने जोर दिया कि गिरफ्तारी एक अपवाद होनी चाहिए और 'bail is the rule, jail is the exception' का सिद्धांत कायम रहना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि जांच एजेंसियों को Section 41 और Section 41A of the Code of Criminal Procedure का कड़ाई से पालन करना चाहिए।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखते हुए निर्देश दिया कि जमानत के मामलों का त्वरित निस्तारण किया जाए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी एक असाधारण विधिक प्रक्रिया है जिसे नियमित रूप से या बिना किसी ठोस आधार के नहीं अपनाया जाना चाहिए। जमानत का प्राथमिक उद्देश्य अभियुक्त को सुनवाई के लिए उपस्थित रखना है, न कि उसे सजा देना।

“According to the High Court, the variety of cases that may arise from time to time cannot be safely classified and it is dangerous to make an attempt to classify the cases and to say that in particular classes a bail may be granted but not in other classes. It was observed that the principle to be deduced from the various sections in the Criminal Procedure Code was that grant of bail is the rule and refusal is the exception. An accused person who enjoys freedom is in a much better position to look after his case and to properly defend himself than if he were in custody. As a presumably innocent person he is therefore entitled to freedom and every opportunity to look after his own case. A presumably innocent person must have his freedom to enable him to establish his innocence.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2022

स्रोत ESCR010005852022

02 Parisha Trivedi v. State of Chhattisgarh

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2024-09-23 • MCRCA/944/2024

यह मामला anticipatory bail (अग्रिम जमानत) की अर्जी से संबंधित है, जो Sections 451 और 394/34 of Indian Penal Code के तहत दर्ज अपराधों के संबंध में दायर की गई थी। आवेदकों का तर्क था कि यह विवाद केवल एक पारिवारिक गलतफहमी और मोबाइल फोन की अदला-बदली का मामला है, न कि कोई गंभीर आपराधिक कृत्य। न्यायालय ने Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के महत्व पर जोर देते हुए और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आवेदकों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि आवेदकों को जांच अधिकारी के समक्ष सहयोग करना होगा और वे मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति को धमका नहीं सकते हैं।

निर्णय उच्च न्यायालय ने माना कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 482 के तहत अग्रिम जमानत का दायरा विस्तृत हुआ है क्योंकि इसमें पूर्ववर्ती दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 438 में दिए गए कड़े मार्गदर्शक तत्वों को हटा दिया गया है। न्यायालय ने आवेदकों को कुछ शर्तों के साथ गिरफ्तारी की स्थिति में जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया।

"The present bail application has been preferred under section 482 of the Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023. It is relevant to note that the difference between the erstwhile pari materia provision of 438 of the Criminal Procedure Code, 1973. In the erstwhile provision there were several guiding factors which needs to be considered while granting the anticipatory bail. The new provisions, however, deletes the guiding factors which the courts hearing anticipatory bail applications may have taken into account, such as nature and gravity of accusation, criminal antecedents, and the possibility of the accused to flee from justice. This deletion widens the discretionary powers of the court hearing such applications."

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2024

स्रोत CGHC010279822024

03 Arjun v. State of U.P.

ALLAHABAD HIGH COURT • 2024-11-28 • /12091/2023

यह मामला एक द्वितीय जमानत आवेदन (second bail application) से संबंधित है, जिसमें आवेदक पर Sections 302, 307, 452, 504, 506, और 34 I.P.C. के तहत आरोप थे। आवेदक पिछले पांच वर्षों से अधिक समय से जेल में था और सह-आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए माना कि 'Bail is the rule, and jail is the exception' और लंबे समय तक कारावास संविधान के Article 21 का उल्लंघन है।

निर्णय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अत्यधिक गंभीर आरोपों में भी न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे कानून के अनुसार जमानत पर विचार करें। "जमानत नियम है और जेल अपवाद" का सिद्धांत विशेष संविधियों में कड़े प्रावधानों के होने पर भी लागू रहता है, बशर्ते सांविधिक शर्तें पूरी की जा सकें।

"“21. Before we part with the Judgment, we must mention here that the Special Court and the High Court did not consider the material in the charge sheet objectively. Perhaps the focus was more on the activities of PFI, and therefore, the appellant's case could not be properly appreciated. When a case is made out for a grant of bail, the Courts should not have any hesitation in granting bail. The allegations of the prosecution may be very serious. But, the duty of the Courts is to consider the case for grant of bail in accordance with the law. “Bail is the rule and jail is an exception” is a settled law. Even in a case like the present case where there are stringent conditions for the grant of bail in the relevant statutes, the same rule holds good with only modification that the bail can be granted if the conditions in the statute are satisfied. The rule also means that once a case is made out for the grant of bail, the Court cannot decline to grant bail. If the Courts start denying bail in deserving cases, it will be a violation of the rights guaranteed under Article 21 of our Constitution.”"

ALLAHABAD HIGH COURT • 2024

स्रोत UPHC020712022023

04 Ramesh Chand v. State of Himachal Pradesh

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2017-09-11 • CRMPM/1068/2017

यह मामला आरोपी रमेश चंद द्वारा दायर एक जमानत याचिका (Section 439 Cr.P.C.) से संबंधित है, जिस पर मृतक लेख राज की हत्या के लिए साजिश रचने का आरोप था। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि आरोपी के मृतक की पत्नी गीता देवी के साथ अवैध संबंध थे और उन्होंने मिलकर जहर देकर लेख राज की हत्या की।

निर्णय न्यायालय ने जमानत याचिका स्वीकार करते हुए माना कि केवल सबक सिखाने या किसी व्यक्ति को अनौपचारिक रूप से दंडित करने के उद्देश्य से प्री-ट्रायल डिटेंशन को बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। जमानत न देना व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक अनुचित हनन है।

“Apart from the question of prevention being the object of refusal of bail, one must not lose sight of the fact that any imprisonment before conviction has a substantial punitive content and it would be improper for any court to refuse bail as a mark of disapproval of former conduct whether the accused has been convicted for it or not or to refuse bail to an unconvicted person for the propose of giving him a taste of imprisonment as a lesson.”

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2017

स्रोत HPHC010160212017

05 Tara Chand v. State of Himachal Pradesh

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2018-04-06 • CRMPM/168/2018

यह मामला आरोपी Tara Chand द्वारा दायर की गई नियमित जमानत (regular bail) याचिका से संबंधित है, जिस पर Section 376, 506, 34 IPC और POCSO Act के Section 6 के तहत FIR दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता पर आरोप था कि उसने एक नाबालिग लड़की का यौन शोषण किया।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भारत में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सर्वोच्च है। केवल इस निराधार आशंका पर कि आरोपी गवाहों को प्रभावित करेगा, किसी को भी बिना दोषसिद्धि के उसकी स्वतंत्रता से वंचित करना संविधान के प्रतिकूल है।

“In India , it would be quite contrary to the concept of personal liberty enshrined in the Constitution that any person should be punished in respect of any matter, upon which, he has not been convicted or that in any circumstances, he should be deprived of his liberty upon only the belief that he will tamper with the witnesses if left at liberty, save in the most extraordinary circumstances. Apart from the question of prevention being the object of refusal of bail, one must not lose sight of the fact that any imprisonment before conviction has a substantial punitive content and it would be improper for any court to refuse bail as a mark of disapproval of former conduct”

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2018

स्रोत HPHC010029952018

06 Sanjay Chandra v. CBI

SUPREME COURT OF INDIA • 2011-11-23 • 2011 INSC 819

यह मामला 2G Telecom scam से संबंधित है, जिसमें अभियुक्तों ने जमानत के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था कि आरोप गंभीर हैं और इससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जमानत का उद्देश्य दंडात्मक नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि अभियुक्त मुकदमे के दौरान उपस्थित रहे। न्यायालय ने कहा कि जांच पूरी हो चुकी है और चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, इसलिए अभियुक्तों को हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, यदि ट्रायल में देरी होती है और अभियुक्त अनिश्चित काल तक जेल में रहते हैं, तो यह Article 21 के तहत उनके व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। न्यायालय ने कड़े प्रतिबंधों के साथ अभियुक्तों को जमानत दे दी।

निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि जमानत एक मूल नियम है और जेल भेजना केवल अपवाद। जब तक भागने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की प्रबल संभावना न हो, तब तक प्री-ट्रायल चरण में स्वतंत्रता से वंचित करना दंड की प्रकृति जैसा हो जाता है जो कि कानूनन निषिद्ध है।

“The basic rule may perhaps be tersely put as bail, not jail, except where there are circumstances suggestive of fleeing from justice or thwarting the course of justice or creating other troubles in the shape of repeating offences H A 8 c D E 330 SUPREME COURT REPORTS [2011] 13 (ADDL.) S.C.R. or intimidating witnesses and the like, by the petitioner who seeks enlargement on bail from the Court.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2011

स्रोत ESCR010001892011

07 Akash Kashyap v. State of U.P.

ALLAHABAD HIGH COURT • 2025-08-11 • BAIL/22758/2024

यह मामला Criminal Misc. Bail Application से संबंधित है। आवेदक, Akash Kashyap, पर Sections 498-A, 304-B, 120-B और 506 IPC तथा Dowry Prohibition Act की धाराओं के तहत अपनी पत्नी के आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था। आवेदक के वकील ने तर्क दिया कि वह निर्दोष है, घटना मृतका के मायके में हुई थी, और सुसाइड नोट में आवेदक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई कृत्य नहीं दर्शाया गया है। न्यायालय ने 'bail is the rule, jail is the exception' के सिद्धांत को दोहराते हुए कहा कि चूंकि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और ट्रायल में देरी हो रही है, इसलिए उसे शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाता है।

निर्णय उच्च न्यायालय ने माना कि जेलों में अत्यधिक भीड़ और मुकदमों के निस्तारण में होने वाली अत्यधिक देरी विचाराधीन कैदियों के मौलिक अधिकारों का गंभीर हनन करती है। जमानत का उद्देश्य दंडात्मक या निवारक नहीं होना चाहिए।

“Overcrowding in jails and inordinate delay in disposing of cases often result in undertrial prisoners, who are presumed innocent and incarcerated through no fault of their own, being deprived of their fundamental rights. The failure to ensure a speedy trial despite overcrowding and systemic inefficiencies violates the right to personal liberty under Article 21.”

ALLAHABAD HIGH COURT • 2025

स्रोत UPHC013131902024

08 Chaman Singh v. State of Himachal Pradesh

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2018-03-19 • CRMPM/194/2018

यह मामला नियमित जमानत (regular bail) की याचिका से संबंधित है, जिसमें आरोपी पर Section 376 of IPC और POCSO Act के तहत FIR दर्ज की गई थी। याचिकाकर्ता, जो मुख्य आरोपी का पिता है, ने तर्क दिया कि FIR में काफी देरी हुई और चिकित्सा साक्ष्य (medical evidence) व RFSL रिपोर्ट में पीड़िता के साथ यौन उत्पीड़न की पुष्टि नहीं हुई है। न्यायालय ने पाया कि पक्षकारों के बीच पारिवारिक संबंध थे और FIR में देरी के कारणों का कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं था। अदालत ने Dataram Singh vs. State of Uttar Pradesh के सिद्धांतों को दोहराते हुए कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि है और मुकदमे से पहले अनिश्चितकाल तक जेल में रखना उचित नहीं है। अतः, न्यायालय ने याचिकाकर्ता को नियमित जमानत दे दी।

निर्णय न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त की हिरासत के दंडात्मक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, सामान्य मामलों में जमानत का सिद्धांत ही प्राथमिकता होना चाहिए। बिना ठोस साक्ष्य के अनिश्चितकालीन प्री-ट्रायल हिरासत न्यायोचित नहीं है।

“Apart from the question of prevention being the object of refusal of bail, one must not lose sight of the fact that any imprisonment before conviction has a substantial punitive content and it would be improper for any court to refuse bail as a mark of disapproval of former conduct whether the accused has been convicted for it or not or to refuse bail to an unconvicted person for the propose of giving him a taste of imprisonment as a lesson.””

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2018

स्रोत HPHC010034472018

09 Linshad v. State of Kerala

HIGH COURT OF KERALA • 2025-04-11 • BAIL APPL./5062/2025

यह मामला आरोपी Linshad द्वारा दायर जमानत याचिका से संबंधित है, जिस पर Vithura Police Station द्वारा Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act (NDPS Act) की Sections 20(b)(ii)(B) और 29 के तहत Ganja रखने का आरोप लगाया गया था। चूंकि जब्त की गई मात्रा एक 'intermediate quantity' थी, इसलिए अदालत ने माना कि NDPS Act की Section 37 की कठोर शर्तें लागू नहीं होती हैं।

निर्णय केरल उच्च न्यायालय ने दोहराया कि जमानत के मामलों में मुख्य ध्येय निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना है। "जमानत एक नियम है और इनकार करना अपवाद" का सिद्धांत कठोर कानूनों पर भी तब तक लागू रहता है जब तक कि सांविधिक रूप से कोई ठोस बाधा न हो।

“the Hon'ble Supreme Court in Chidambaram. P v Directorate of Enforcement [2019 (16) SCALE 870], after considering all the earlier judgments, observed that, the basic jurisprudence relating to bail remains the same inasmuch as the grant of bail is the rule and refusal is the exception so as to ensure that the accused has the opportunity of securing fair trial.”

HIGH COURT OF KERALA • 2025

स्रोत KLHC010308082025

10 M.V.S. Ramu v. State

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2014-06-26 • CRLP/4361/2014

यह मामला M.V.S. Ramu नामक Petitioner द्वारा दायर पांच Criminal Petitions से संबंधित है, जिसमें उन्होंने अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) की मांग की थी। Petitioner पर विभिन्न धोखाधड़ी, जालसाजी (forgery) और आपराधिक विश्वासघात (criminal breach of trust) के आरोप लगाए गए थे। इन आरोपों में कंपनी के खातों से करोड़ों रुपये का हेरफेर, फर्जी बोर्ड प्रस्ताव तैयार करना, बैंकों से ऋण लेने के लिए जाली दस्तावेज जमा करना और शेयर आवंटन के नाम पर पैसे लेकर उसे वापस न करना शामिल है।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जमानत आरोपी को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देती, बल्कि वह कानून की कस्टडी से निकलकर अपनी प्रतिभूतियों की कस्टडी में स्थानांतरित होता है। न्यायालय का अभियुक्त पर नियंत्रण उसके द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के माध्यम से बना रहता है।

“the effect of granting bail is not to set the accused at liberty but to release him from the custody of the law and to entrust him to the custody of his sureties who are bound to produce him in the Court of Law for his appearance during enquiry and trial at specific times and places.”

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2014

स्रोत HBHC010604532014

11 D.K. Ganesh Babu v. P.T. Manokaran

SUPREME COURT OF INDIA • 2007-02-23 • 2007 INSC 191

यह मामला Section 438 of the Code of Criminal Procedure के तहत अग्रिम जमानत (anticipatory bail) के दायरे और शक्तियों से संबंधित है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि Section 438 के तहत दिया गया आदेश केवल गिरफ्तारी के क्षण से प्रभावी होता है और इसका उद्देश्य व्यक्ति को गिरफ्तारी के तुरंत बाद जमानत पर रिहा करना है, न कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना। उच्चतम न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा जमानत आदेश में लगाई गई शर्तों को गलत माना और कहा कि एक बार गिरफ्तारी के बाद, आरोपी को Section 439 के तहत नियमित जमानत के लिए आवेदन करना चाहिए। न्यायालय ने जोर दिया कि अग्रिम जमानत का उपयोग केवल असाधारण मामलों में किया जाना चाहिए।

निर्णय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सामान्य जमानत और अग्रिम जमानत के परिचालन क्षेत्रों में बुनियादी अंतर है। अग्रिम जमानत केवल गिरफ्तारी की आशंका की स्थिति में गिरफ्तारी के तुरंत प्रभावी होने वाले कवच के रूप में कार्य करती है।

“The distinction between an ordinary order of bail and an order under Section 438 of the Code is that whereas the former is granted after arrest, and therefore means release from custody of the Police, the latter is granted in anticipation of arrest and is therefore effective at the very moment of arrest.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2007

स्रोत ESCR010005932007

12 Vasu Sharma v. UT of J&K

HIGH COURT OF JAMMU AND KASHMIR • 2024-08-14 • BAIL APP/176/2024

यह मामला Vasu Sharma और अन्य द्वारा दायर की गई जमानत याचिका से संबंधित है, जिसमें उन्होंने FIR No. 98/2024 (Police Station Bishnah) के तहत गिरफ्तारी से पूर्व जमानत (pre-arrest bail) की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि उन्हें एक पुरानी नागरिक संपत्ति विवाद (civil dispute) के कारण झूठा फंसाया गया है। प्रतिवादी पक्ष ने इसका कड़ा विरोध करते हुए तर्क दिया कि यह एक गंभीर अपराध है और याचिकाकर्ताओं की हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। न्यायालय ने यह माना कि जमानत एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन यह असाधारण शक्ति केवल उचित मामलों में ही दी जानी चाहिए। अंततः, रिकॉर्ड और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, न्यायालय ने जमानत याचिका पर निर्णय लिया।

निर्णय न्यायालय ने माना कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के व्यापक आयामों को देखते हुए जांच के दौरान अनावश्यक गिरफ्तारियों की प्रथा को बंद किया जाना चाहिए। अग्रिम जमानत (BNSS की धारा 482) के तहत राहत सामान्यतः परीक्षण के अंत तक जारी रहनी चाहिए।

“An accused needs to be allowed to approach the competent courts under the provisions of Section 482 of BNSS, 2023 corresponding to Section 438 of the repealed Code of Criminal Procedure, 1973 (hereinafter referred to as „Code“ for short) to seek pre-arrest bail which of course is likely to be granted in justified cases subject to reasonable terms and conditions having regard for the fair, smooth, scientific and logical conclusion of the investigation.”

HIGH COURT OF JAMMU AND KASHMIR • 2024

स्रोत JKHC020042102024

13 Sajeev Kumar M.N. v. State of Kerala

HIGH COURT OF KERALA • 2024-04-25 • BAIL APPL./3282/2024

यह मामला एक मंदिर उत्सव के दौरान हुए अवैध विस्फोटक भंडारण और उससे हुए विस्फोट से संबंधित है, जिसमें जानमाल की काफी हानि हुई थी। याचिकाकर्ता, जो मंदिर समिति के सदस्य थे, ने जमानत के लिए आवेदन किया था। न्यायालय ने माना कि यद्यपि आरोप गंभीर हैं, लेकिन याचिकाकर्ता पिछले 55 दिनों से हिरासत में हैं, जांच पूरी हो चुकी है, और केवल अंतिम रिपोर्ट दाखिल की जानी शेष है। कानून के स्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कि 'जमानत नियम है और जेल अपवाद', न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को कुछ सख्त शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

निर्णय केरल उच्च न्यायालय ने माना कि जांच पूर्ण होने और अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने की प्रक्रिया शेष रहने की स्थिति में अभियुक्त की आगे की न्यायिक हिरासत अनुचित है। समाज की मात्र भावनाओं के आधार पर जमानत की संवैधानिक राहत को नकारा नहीं जा सकता।

“The principle that bail is the rule and jail is an exception is on the touch stone of Article 21 of the Constitution of India. Once the charge sheet is filed, a strong case has to be made out for continuing a person in judicial 9 BA No.3282 of 2024 custody. The right to bail cannot be denied merely due to the sentiments of the society.”

HIGH COURT OF KERALA • 2024

स्रोत KLHC011015762024

14 Kasimkota Kameswara Rao v. State of Andhra Pradesh

HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH • 2025-07-09 • CRLP/5166/2025

यह मामला एक सरकारी कर्मचारी द्वारा अग्रिम जमानत (anticipatory bail) के लिए दायर की गई याचिका से संबंधित है। याचिकाकर्ता पर अपनी पत्नी के साथ धोखाधड़ी, क्रूरता, गर्भपात कराने और शारीरिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगे थे। न्यायालय ने गौर किया कि शिकायतकर्ता को याचिकाकर्ता के पहले से विवाहित होने की जानकारी 2016 में ही हो गई थी, इसके बावजूद उसने संबंध जारी रखा और शिकायत दर्ज कराने में लगभग सात साल की देरी की। न्यायालय ने कहा कि FIR दर्ज करने में हुई यह अत्यधिक देरी और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, याचिकाकर्ता को कड़ी शर्तों के साथ जमानत दी जानी चाहिए। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी एक अंतिम विकल्प होना चाहिए।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी एक अत्यंत गंभीर कदम है जिसे केवल अपरिहार्य विधिक परिस्थितियों में ही अंतिम विकल्प (last option) के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। अनावश्यक गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए।

“Arrest should be the last option, and it should be restricted to those exceptional cases where arresting the accused is imperative based on the facts and circumstances of that case.”

HIGH COURT OF ANDHRA PRADESH • 2025

स्रोत APHC010245102025

15 Siddharam Satlingappa Mhetre v. State of Maharashtra

SUPREME COURT OF INDIA • 2010-12-02 • 2010 INSC 843

यह मामला Section 438 of the Code of Criminal Procedure, 1973 के तहत anticipatory bail की व्यापकता और scope से संबंधित है। याचिकाकर्ता पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप था, जिसके आधार पर High Court ने उनकी anticipatory bail याचिका खारिज कर दी थी। Supreme Court ने Sibbia's case के Constitution Bench के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि Section 438 के तहत राहत सीमित अवधि के लिए नहीं दी जानी चाहिए और न ही इसमें Section 437 की शर्तें लागू की जानी चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सर्वोपरि है और जब तक आरोपी जांच में सहयोग करता है, तब तक हिरासत में पूछताछ से बचा जाना चाहिए। अंततः, न्यायालय ने High Court के आदेश को दरकिनार करते हुए याचिकाकर्ता को जांच में शामिल होने का निर्देश दिया और गिरफ्तारी की स्थिति में उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि अग्रिम जमानत के जीवनकाल (duration) को अदालतों द्वारा मनमाने ढंग से सीमित नहीं किया जाना चाहिए। अग्रिम जमानत के आदेश को सामान्यतः परीक्षण के समाप्त होने तक प्रभावी रहना चाहिए।

“The Constitution Bench in *Sibbia's case clearly observed that pt.. it is not necessary to re-write Section 438 Cr.P.C. Therefore, in view of the clear declaration of the law by the Constitution Bench, the life of the order under Section 438 Cr.P.C. granting bail cannot be curtailed.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2010

स्रोत ESCR010003512010

16 Pranav v. State of Kerala

HIGH COURT OF KERALA • 2024-04-23 • BAIL APPL./2820/2024

यह मामला Section 439 of the Code of Criminal Procedure के तहत जमानत याचिका से संबंधित है। याचिकाकर्ता पर अपने सौतेले नाबालिग बच्चे को शारीरिक चोट पहुँचाने और Section 341, 324 of the Indian Penal Code तथा Section 75 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act के तहत अपराध करने का आरोप था। न्यायालय ने ध्यान दिया कि याचिकाकर्ता लगभग 70 दिनों से हिरासत में है और मामले में जांच पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के 'bail is the rule, jail is the exception' के सिद्धांत का पालन करते हुए, उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को सख्त शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

निर्णय केरल उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विचाराधीन अभियुक्त की हिरासत तभी बढ़ाई जा सकती है जब कस्टडी जारी रखने के लिए कोई अत्यंत विधिक और बाध्यकारी परिस्थिति मौजूद हो। केवल सामाजिक दृष्टिकोण के कारण जमानत रोकने से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है।

“Any imprisonment prior to conviction is to be considered as punitive and it would be improper on the part of the Court to refuse bail solely on the ground of former conduct. ... The principle that bail is the rule and jail is an exception is on the touch stone of Article 21 of the Constitution of India.”

HIGH COURT OF KERALA • 2024

स्रोत KLHC010969802024

17 Gurvinder Singh v. State of Haryana

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2025-04-09 • CRM-M/20315/2025

यह मामला 79 किलोग्राम से अधिक अफीम के छिलके (poppy husk) की बरामदगी से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने anticipatory bail के लिए आवेदन किया था, जिसे निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। अभियोजन पक्ष का तर्क है कि सह-आरोपी के खुलासे के आधार पर याचिकाकर्ता की संलिप्तता पाई गई है और मामले में commercial quantity की बरामदगी के कारण NDPS Act की Section 37 के तहत सख्त प्रावधान लागू होते हैं। इसके अलावा, याचिकाकर्ता का पिछला आपराधिक रिकॉर्ड भी मौजूद है। इन परिस्थितियों और मामले की गंभीरता को देखते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।

निर्णय उच्च न्यायालय ने माना कि गंभीर अपराधों और स्वापक पदार्थों की व्यावसायिक मात्रा वाले मामलों में अग्रिम जमानत की विवेकाधीन राहत नहीं दी जा सकती। हिरासत में पूछताछ (custodial interrogation) गुणात्मक रूप से अधिक प्रभावी होती है।

“We find force in the submission of the CBI that custodial interrogation is qualitatively more elicitation oriented than questioning a suspect who is well ensconded with a favorable order under 438 if the code.”

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2025

स्रोत PHHC010589522025

18 Naresh Kumar Gulia v. Directorate of Enforcement

HIGH COURT OF JAMMU AND KASHMIR • 2025-07-15 • BAIL APP/51/2025

यह मामला एक कथित Ponzi scheme और धन शोधन (money laundering) से संबंधित है, जिसमें याचिकाकर्ता Naresh Kumar Gulia ने अग्रिम जमानत (pre-arrest bail) की मांग की थी। प्रवर्तन निदेशालय (Directorate of Enforcement) ने याचिकाकर्ता पर 'The Emollient Coin Ltd' और 'M/s Tech Coin Ltd' जैसी कंपनियों के माध्यम से फर्जी क्रिप्टोकॉइन्स के नाम पर हजारों लोगों को ठगने और करोड़ों रुपये की अपराध की आय (proceeds of crime) अर्जित करने का आरोप लगाया है।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अग्रिम जमानत एक असाधारण राहत है जिसका प्रयोग अत्यंत सावधानी से किया जाना चाहिए। अग्रिम जमानत का आदेश केवल उस विशिष्ट घटना तक सीमित होना चाहिए जिसके लिए गिरफ्तारी की आशंका है, इसे भविष्य के संभावित अपराधों के लिए कवच नहीं बनाया जा सकता।

“It should be confined to the offence or incident, for which apprehension of arrest is sought, in relation to a specific incident. It cannot operate in respect of a future incident that involves commission of an offence.”

HIGH COURT OF JAMMU AND KASHMIR • 2025

स्रोत JKHC020010602025

19 Ashokan v. State of Kerala

HIGH COURT OF KERALA • 2024-04-23 • BAIL APPL./3242/2024

यह मामला जमानत के लिए दायर की गई एक याचिका से संबंधित है, जिसमें याचिकाकर्ता (Ashokan) को Sections 341, 323, 324, 307 और 506 r/w 34 of the Indian Penal Code के तहत अपराधों का आरोपी बनाया गया था। याचिकाकर्ता लगभग 40 दिनों से न्यायिक हिरासत में था।

निर्णय केरल उच्च न्यायालय ने माना कि जब आरोपी काफी समय (40 दिन) से हिरासत में हो और जांच व्यावहारिक रूप से पूरी हो चुकी हो, तो अभियुक्त की हिरासत जारी रखना अनुच्छेद 21 के सिद्धांतों के प्रतिकूल है।

“The principle that bail is the rule and jail is an exception is on the touch stone of Article 21 of the Constitution of India. Once the charge sheet is filed, a strong case has to be made out for continuing a person in judicial custody.”

HIGH COURT OF KERALA • 2024

स्रोत KLHC011008882024

20 Pushpaprabha Varghese & Anr. v. State of Kerala

HIGH COURT OF KERALA • 2025-04-10 • BAIL APPL./5173/2025

यह मामला Perumbavoor Urban Co-operative Bank में कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं पर आरोप था कि उन्होंने अपने आधिकारिक पदों का दुरुपयोग करते हुए जाली दस्तावेज तैयार किए, अयोग्य व्यक्तियों को सदस्यता दी और ऋण प्रक्रिया का उल्लंघन किया, जिससे बैंक को नुकसान हुआ। आरोपियों पर Indian Penal Code की विभिन्न धाराओं (406, 408, 409, 417, 420 आदि) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

निर्णय न्यायालय ने माना कि जब किसी अभियुक्त का जमानत का मामला स्थापित हो जाता है, तो अदालतों को जमानत देने में संकोच नहीं करना चाहिए। अपराध के गंभीर होने के बावजूद प्रक्रियात्मक न्याय और समानता का सिद्धांत लागू रहना चाहिए।

“When a case is made out for a grant of bail, the Courts should not have any hesitation in granting bail. ... If the Courts start denying bail in deserving cases, it will be a violation of the rights guaranteed under Art.21 of our Constitution.”

HIGH COURT OF KERALA • 2025

स्रोत KLHC010313522025

21 Priya Indoria v. State of Karnataka

SUPREME COURT OF INDIA • 2023-11-20 • 2023 INSC 1008

यह मामला Section 438 of the Code of Criminal Procedure के तहत 'transit anticipatory bail' की वैधता से संबंधित है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी अन्य राज्य में FIR दर्ज है, तो वह अपने निवास स्थान वाले राज्य के उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय से केवल सीमित अवधि के लिए 'transit anticipatory bail' मांग सकता है, ताकि उसे सक्षम न्यायालय में नियमित अग्रिम जमानत याचिका दायर करने का अवसर मिल सके। यह अधिकार Constitution of India के Article 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि पूर्ण अग्रिम जमानत के लिए आरोपी को उसी अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में जाना होगा जहाँ FIR दर्ज की गई है।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण को देखते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा और पुलिस की जांच शक्तियों के बीच आवश्यक संतुलन बनाने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया।

“a Constitution Bench of this Court speaking through Chandrachud, C.J., observed that society has a vital stake in preserving personal liberty as well as investigational powers of the police and their relative importance at any given time depends upon the complexion and restraints of political conditions.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2023

स्रोत ESCR010007832023

22 Chandrasekharan Nair v. State of Kerala

HIGH COURT OF KERALA • 2024-05-20 • BAIL APPL./3669/2024

यह मामला Section 409 और 420 of the Indian Penal Code के तहत दर्ज एक जमानत याचिका से संबंधित है। याचिकाकर्ता पर आरोप था कि उसने उच्च ब्याज का लालच देकर शिकायतकर्ता से 3,00,000 रुपये लिए लेकिन न तो ब्याज दिया और न ही मूलधन लौटाया। याचिकाकर्ता 47 दिनों से हिरासत में था। न्यायालय ने माना कि जांच पूरी हो चुकी है और सामग्री की बरामदगी हो गई है, इसलिए उसे और हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है। 'Bail is the rule, jail is an exception' के सिद्धांत को दोहराते हुए, न्यायालय ने सख्त शर्तों के साथ याचिकाकर्ता को जमानत प्रदान की।

निर्णय न्यायालय ने माना कि अपराध की गंभीरता और संलिप्तता के बावजूद, दोषसिद्धि से पहले किसी भी व्यक्ति को कारावास में रखना दंडात्मक प्रकृति का होता है। जांच पूरी होने पर कस्टडी का कोई विधिक आधार नहीं बचता।

“the Honourable Supreme Court has categorically held that the fundamental postulate of criminal jurisprudence is the presumption of innocence, until a person is found guilty. Any imprisonment prior to conviction is to be considered as punitive”

HIGH COURT OF KERALA • 2024

स्रोत KLHC011036982024

23 Sandeep v. State of Haryana

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2025-09-11 • CRM-M/48215/2025

यह मामला अग्रिम जमानत (anticipatory bail) के लिए दायर की गई याचिका से संबंधित है। याचिकाकर्ता पर सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने, फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करने और जालसाजी (Sections 420, 467, 468, 471 & 120-B of the IPC) का आरोप है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्होंने आरोपी को भारी रकम दी थी।

निर्णय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने माना कि अग्रिम जमानत एक असाधारण विवेकाधिकार है जिसका प्रयोग केवल असाधारण विधिक परिस्थितियों में किया जाना चाहिए, न कि गंभीर सरकारी नौकरी घोटालों और धोखाधड़ी के नियमित मामलों में।

“The anticipatory bail is an extraordinary discretion which should be exercised in the extraordinary circumstances.”

HIGH COURT OF PUNJAB AND HARYANA • 2025

स्रोत PHHC011382542025

24 Manish Sisodia v. Directorate of Enforcement

SUPREME COURT OF INDIA • 2024-08-09 • 2024 INSC 595

यह मामला दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत से संबंधित है, जिन्हें CBI और ED द्वारा गिरफ्तार किया गया था। याचिकाकर्ता लगभग 17 महीनों से जेल में था और ट्रायल अभी शुरू भी नहीं हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जब ट्रायल में अनुचित देरी हो और आरोपी लंबे समय से जेल में हो, तो उसे जमानत पाने का अधिकार है। न्यायालय ने कहा कि 'bail is rule and jail is exception' का सिद्धांत सर्वोपरि है। धारा 45 (PMLA) की कड़े शर्तें इस मामले में ट्रायल शुरू न होने और देरी के कारण जमानत के अधिकार को सीमित नहीं कर सकतीं। अतः, न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए आरोपी को जमानत दे दी।

निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि जमानत को सजा के तौर पर नहीं रोका जाना चाहिए। यदि अभियोजन समय पर मुकदमा शुरू करने या समाप्त करने में असमर्थ रहता है, तो विचाराधीन आरोपी को अनंत काल तक हिरासत में रखना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।

“Bail – To be granted as a rule, jail is exception – Non- observance by Courts, deprecated: Held: Bail is not to be withheld as a punishment – Trial courts and High Courts play safe in matters of grant of bail and the principle that bail is a rule and refusal is an exception is, at times, followed in breach – It is high time that the trial courts and the High Courts should recognize the principle that “bail is rule and jail is exception”.”

SUPREME COURT OF INDIA • 2024

स्रोत ESCR010005642024

25 Preet Pal Singh v. State of Uttar Pradesh

SUPREME COURT OF INDIA • 2020-08-14 • 2020 INSC 493

यह मामला आरोपी को निचली अदालत द्वारा Section 304B, 498A, 406 IPC और Dowry Prohibition Act के तहत दोषी ठहराए जाने और आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद High Court द्वारा जमानत देने से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषसिद्धि के बाद जमानत देते समय अदालत को अपील की प्रथम दृष्टया (prima facie) योग्यता पर विचार करना चाहिए और बिना ठोस कारण बताए जमानत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि High Court ने साक्ष्यों को अनदेखा करते हुए बिना किसी स्पष्ट कारण के जमानत दी थी। तदनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने High Court के आदेश को रद्द कर दिया और जमानत को खारिज कर दिया।

निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि विचारण पूर्व जमानत (pre-trial bail) और दोषसिद्धि के पश्चात सजा के निलंबन (suspension of sentence) में स्पष्ट विधिक अंतर है। दोषसिद्धि के बाद "जमानत नियम है, जेल अपवाद" का सिद्धांत लागू नहीं होता क्योंकि निर्दोषता की विधिक धारणा समाप्त हो चुकी होती है।

"There is a difference between grant of bail under Section 439 of the CrPC in case of pre-trial arrest and suspension of sentence under Section 389 of the CrPC and grant of bail, post conviction. In the earlier case there may be presumption of innocence, which is a fundamental postulate of criminal jurisprudence... Nor is the principle of bail being the rule and jail an exception attracted, once there is conviction upon trial."

SUPREME COURT OF INDIA • 2020

स्रोत ESCR010004102020

अ स्वी क र ण

यह मेमो Vitark AI द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध निर्णयों और उपयोगकर्ता के प्रश्न के आधार पर तैयार किया गया है। यह केवल रिसर्च सहायता के लिए है और कानूनी सलाह (legal advice) नहीं है। किसी भी filing, opinion, या correspondence में उपयोग करने से पहले सभी case citations, holdings और quotations को मूल निर्णय (source judgment) के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए।